पत्रांक –3/एम०–63/2013सा0प्र0...8710.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...11.8.... 2021

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मी के मानदेय निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(7)(iii) का प्रावधान निम्नवत् है–

"ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य **पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल** के समतुल्य होगा। परंतु इस कारण से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा ।"

2. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संकल्प के निर्गत होने की तिथि 10.07.2015 को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप **पे बैण्ड और ग्रेड पे** आधारित वेतन राज्य

सरकार के कर्मियों को अनुमान्य था। इसलिए उपर्युक्त कंडिका–3 में उल्लिखित प्रावधान में नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय निर्धारण का आधार **पे बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन** को बनाया गया है।

3. 7वें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक–01.01.2016 से राज्य सरकार के कर्मियों का वेतन **पे लेवल के आधार** पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार दिनांक–01.01.2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मियों का अन्तिम वेतन उन्हें अनुमान्य पे–लेवल पर ही आधारित है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आधार पर संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्णित स्थिति में क्योंकि उक्त संकल्प की कंडिका–3(7)(iii) में निहित प्रावधान में **पे–बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन** का उल्लेख है इसलिए दिनांक–01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजन के उपरान्त संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा उनके सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य पे–लेवेल के समतुल्य ग्रेड–पे के प्रारम्भिक वेतन स्तर के आधार पर मानदेय का निर्धारण किया जा रहा है। कतिपय विभागों से इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

5. अतः दिनांक–01.01.2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मियों, जो नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजित किये जाने पर उक्त संकल्प की कंडिका–3(7)(iii) के आलोक में संबंधित कर्मी के मानदेय का निर्धारण निम्नरूप में किया जायेगा–

> "दिनांक–01.01.2016 के बाद नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य **पे–लेवल का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल** के समतुल्य होगा। परंतु इस कारण से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के

समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।"

विश्वासभाजन,

(चंचल कुमार) ८।२।

सरकार के प्रधान सचिव।